न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 57/2023

अनवान : –

1. अमित कुमार पुत्र बृजलाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रिनु देवी पत्नी बृजालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रिनु देवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बलदेव पुत्र रामचन्द्र जाति बाजीगर निवासी नुकेरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक:-05/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 284/70 की कुल 1.6440 हैक्ट भूमि मे से 0.6320 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 के नाम तथा 1.012 हैक्ट भूमि वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 279/70 की कुल 0.6960 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

दोनो खातों की भूमि मुश्तरका थी तथा वरवक्त विभाजन गलत दर्ज हो गयी और प्रतिवादी रास्ता से महरूम हो गया और अब मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 18.01.2023 को समझौता किया हुआ है मुताबिक समझौता रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 279/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 3 की 0.253 है0 व किला नं. 8 मिन पूर्व की 0.126 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादीगण काबिज है तथा खाता संख्या 284/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 2/2 की 0.063 है0 भूमि व किला नं. 9/2 की 0.063 है0 व किला नं. 10 की 0.253 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि पर वादीगण की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीगण संख्या 1 को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त दोनो खातों की भूमि मुश्तरका थी तथा वरवक्त विभाजन गलत दर्ज हो गयी और प्रतिवादी रास्ता से महरूम हो गया और अब मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 18.01.2023 को समझौता किया हुआ है मुताबिक समझौता रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 279/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 3 की 0.253 है0 व किला नं. 8 मिन पूर्व की 0.126 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादीगण काबिज है तथा खाता संख्या 284/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 2/2 की 0.063 है0 भूमि व किला नं. 9/2 की 0.063 है0 व किला नं. 10 की 0.253 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि पर वादीगण की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे। वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है। अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible]। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड [illegible] मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या [illegible]/70 की कुल 1.6440 हैक्ट भूमि मे से 0.6320 हैक्ट भूमि वादी संख्या 1 के नाम तथा 1.012[illegible] हैक्ट भूमि वादीया संख्या 2 के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 5 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 279/70 की कुल 0.6960 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 18.01.2023 को समझौता किया हुआ है मुताबिक समझौता रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 279/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 3 की 0.253 है0 व किला नं. 8 मिन पूर्व की 0.126 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादीगण काबिज है तथा खाता संख्या 284/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 2/2 की 0.063 है0 भूमि व किला नं. 9/2 की 0.063 है0 व किला नं. 10 की 0.253 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि पर वादीगण की बजाये प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया है तथा अपने कथनों की ताईद मे इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 279/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 3 की 0.253 है0 व किला नं. 8 मिन पूर्व की 0.126 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 284/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 2/2 की 0.063 है0 भूमि व किला नं. 9/2 की 0.063 है0 व किला नं. 10 की 0.253 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि का वादीगण की बजाय प्रतिवादी 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व तरमीम मुताबिक नजरी नक्शा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की हो। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 57/2023

अनवान : –

1. अमित कुमार पुत्र बृजलाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता रिनु देवी पत्नी बृजालाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. रिनु देवी पत्नी बृजलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. बलदेव पुत्र रामचन्द्र जाति बाजीगर निवासी नुकेरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 57 सन 2023 निर्णय दिनांक –05/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 5 आरपीएम के खाता संख्या 279/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 3 की 0.253 है0 व किला नं. 8 मिन पूर्व की 0.126 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की बजाये वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खाता संख्या 284/70 के प0 नं0 313/394 (71) के किला नं. 2/2 की 0.063 है0 भूमि व किला नं. 9/2 की 0.063 है0 व किला नं. 10 की 0.253 है0 कुल 0.3790 है0 भूमि का वादीगण की बजाय प्रतिवादी 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व तरमीम मुताबिक नजरी नक्शा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की हो। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:22:46 IST
Reason: SelfAttested